भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोच्चिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant **An IS 15700 certified Custom House**

Website: www.cochincustoms.gov.in **Control Room: 0484-2666422**
E-mail: commr@cochincustoms.gov.in **Fax: 0484-2668468**
Ph: 0484-2666861-64/774/776

परिपत्र सं.CIRCULAR.No.08/2019

विषय: स्थायी व्यापार सुविधा समिति की दिनांक 12.07.2019 को हुई बैठक का कार्यवृत्त- संबंधित।
Sub: Permanent Trade Facilitation Committee- Minutes of the meeting held on 12.07.2019 - Reg.

****

स्थायी व्यापार सुविधा समिति की बैठक दिनांक 12.07.2019 को 11.30 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचीन के सभा गृह में आयोजित की गई। श्री सुमित कुमार, भा. रा. से., आयुक्त महोदय ने बैठक की अध्यक्षता की ।

Meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 11:30 am on 12.07.2019 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Shri. Sumit Kumar, IRS, Commissioner, chaired the meeting.

निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। श्री/श्रीमती/सुश्री
The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt

1. सुमित कुमार, भा. रा. से., आयुक्त Sumit Kumar, IRS, Commissioner
2. डॉ जे हरीश, भा. रा. से., संयुक्त आयुक्त Dr. J. Harish, IRS, Joint Commissioner
3. एम. वसंतागेशन, भा. रा. से., संयुक्त आयुक्त M. Vasanthagesan, IRS, Joint Commissioner
4. डॉ. राजी, भा. रा. से., उपआयुक्त Dr.Raji N S, IRS,Deputy Commissioner
5. ई वी रामन, भा. रा. से., सहायक आयुक्त E V Sivaraman, IRS. Assistant Commissioner
4. साबू सबैस्टियन, भा. रा. से., सहायक आयुक्त Sabu Sebastain, IRS, Assistant Commissioner
5. फिलिप सबैस्टियन, भा. रा. से., सहायक आयुक्त Phillip Sebastain, IRS, Assistant Commissioner
6. जोसेफ सबैस्टियन, भा. रा. से., सहायक आयुक्त Joseph Sebastain, IRS, Assistant Commissioner
7. भुवनचंद्रन पी, वैज्ञानिक 'ई', एन आई सी Bhuvanachandran P, Scientist E', NIC
8. बैजू डेनियल, मूल्यनिरूपक अधिकारी Baiju Daniel, Appraising Officer
9. प्रशांत के सी एस, सीमाशुल्क अधीक्षक Prasanth K.C.S, Superintendent of Customs
10. रितेश कुमार सिंह, सीमाशुल्क अधीक्षक Ritesh Kumar Singh, Superintendent of Customs
11. एन अजीत कुमार, मूल्यनिरूपक अधिकारी N Ajithkumar, Appraising Officer

व्यापार तथा व्यापार संबंधी अन्य सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि सुश्री/ श्री
The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by S/Shri:

1. राज विनोद, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट Raj Vinod P, Cochin Port Trust
2. वी डी दिनेशन, कॅयर बोर्ड V D Dinesan, Coir Board
3. एस एस सिंधु, वनस्पति संगरोध S S Sidhu, Plant Quarantine
4. पॉल जे कोचेरिल, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट Paul J Kocheril, Cochin International Airport
5. अब्राहम फिलिप, इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री Abraham Phillip, Indian Chamber of Commerce & Industry
6. राजीव एम सी, एफ आई ई ओ Rajeev M C, FIEO
7. एन एन मेनन, ट्रेड ट्रैक N N Menon, Trade Track
8. डॉ जेस्टो जॉर्ज, एफ एस एस ए आई Dr. Jesto George, FSSAI
9. कुरुविल्ला वर्गीस, आई जी टी पी एल Kuruvilla Varghese, IGTPL

10. बिजू आर, सी एफ एस, पेट्टा Biju R, CFS, Pettah
11. वी वीरा राघव, सी एफ एस, जी डी के एल V Veera Raghav, CFS, GDKL
12. टी के बिजू, सी एफ एस, सी पी टी T K Biju, CFS, CPT
13. शाहिद के के, सी एफ एस, के एस आई ई Shahid K K, CFS, KSIE
14. विनोद इम्मैनुअल, सी एफ एस, एम आई वी. Vinodh Immanuel, CFS, MIV
15. हरि वी एस, सी एफ एस, कॉनकॉर Hari V S, CFS, CONCOR
16. ए ए फर्नांडेज़, कोचीन सीमाशुल्क ब्रोकर्स असोसिएशन A A Fernandez, Cochin Customs Brokers Association
17. एम कृष्णकुमार, कोचिन स्टीमर एजेन्ट्स असोसिएशन M Krishnakumar, Cochin Steamer Agents Association
18. एस रामकृष्णन, सी फूड एक्सपोर्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया S Ramakrishnan, Sea Food Exporters Association of India
19. पी विनोद कुमार, ए जी एम, भारतीय रिज़र्व बैंक P Vinod Kumar, AGM, Reserve Bank of India
20. बी एन झा, मसाला बोर्ड, कोच्ची B N Jha, Spice Board Kochi.
21. पी एस सोल्नेराई, कंसोलिडेटर असोसिएशन ऑफ इंडिया P S Sclnerai, Consolidators Association of India.
22. वी विनोद, समुद्री उत्पाद निर्यात एवं विकास प्राधिकरण V Vinod, Marine Products Export Development Athority.

अध्यक्ष महोदय ने बैठक के सदस्यों का स्वागत किया। पिछली बैठक का कार्यवृत्त तथा उसमें उठाए गए मुद्दों के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में चर्चा की गई। चूंकि 31.05.2019 की पी टी एफ सी बैठक के लिए सी सी बी ए के द्वारा बिंदुओं को प्रस्तुत किए जाने में देरी हुई अतः अध्यक्ष ने कहा कि वे बिंदु अगली बैठक में लिए जा सकते हैं।। अतः उक्त मुद्दा तथा नए मुद्दें इस बैठक में रखे जा सकते हैं।

The Chair welcomed the members to the meeting. The minutes of the previous meeting and the action taken in respect of points thereon was taken for consideration. Since there was delay in submission of points by the CCBA for the PTFC meeting held on 31.05.2019 and, the Chair ruled that the points could be taken up at the next meeting. Therefore the said points as well as fresh points were taken up in this meeting

<u>चर्चा हेतु नए मुद्दें *FRESH POINTS FOR DISCUSSION.*</u>

<u>कोचीन सीमाशुल्क ब्रोकर संघ के द्वारा उठाए गए मुद्दें</u>
<u>Points raised by The Cochin Customs Broker's Association.</u>

बिंदु संख्या 1. दिनांक 22.01.2019 को आयोजित स्थायी व्यापार सुविधा समिति की बैठक के कार्यवृत्त में सुधार

Point No.1 Correction in the Minutes of the PTFC meeting held on 22.01.2019.

हमने यह मुद्दा पी टी एफ सी की पिछली बैठकों 11.03.2019 तथा 31.05.2019 में भी रखा था। परंतु कार्यवृत्त में अभी भी सुधार किया जाना शेष है। हम प्रार्थित सुधारों को आपके संज्ञान में पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं (प्रिंट नहीं किया गया)।

We had taken up the matter are the earlier PTFC meeting held on 11.03.2019 and 31.05.2019. But the minutes are yet to be corrected. We are once again reproducing the corrections requested for your kind attention: (*not printed*)

अध्यक्ष ने सूचना दी कि विषय के मुद्दों पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है तथा कोई ठोस सुधार नहीं किया जाना है। उन्होंने तत्पश्चात कहा कि सी सी बी ए के सदस्यों द्वारा मांगा गया सुधार, चर्चा किए गए मुद्दें का केवल विस्तार तथा प्रसरण है। इस दृष्टि से सुधार की मांग को स्वीकार नहीं किया जाता।

The Chair informed the member that the subject point was already discussed and that there are no points for which substantial corrections has to be done. He further stated that, the corrections which the Member from CCBA have requested is just an amplification and expansion of the matter in the point discussed, and it does not affect the gist of the entire discussion. In the light of this the request of correction not accepted

(कार्रवाई: मुद्दा निरस्त *For Action: Point dropped)*

बिंदु संख्या 2 .सीमाशुल्क परिपत्र जारी करने से पूर्व हितधारकों से मसौदा कार्यवृत्त का अनुमोदन हेतु परिचालन ।

Point No. 2. Circulation of Draft minutes for approval of stake holders prior to issuance of Customs Circular. •

सी सी बी ए ने आयुक्त महोदय से अनुरोध किया कि वे उचित अधिकारी को निर्देश दे कि पी टी एफ सी बैठक के मसौदा कार्यवृत्त को बैठक के दो या तीन दिनों के भीतर ही परिचालित किए जाए ताकि उपर्युक्त में दर्शाए गए ऐसी भूलों से बचा जा सकें।

The CCBA requested the Commissioner to give instructions to the proper officer to circulate the draft minutes of the PTFC meeting within one or two days of the meeting to avoid such mistakes as stated above.

संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क डॉ. जे. हरीश द्वारा सदस्यों को बताया गया कि मसौदा कार्यवृत्तों के प्रचलन की प्रथा इस सीमाशुल्क गृह में प्रचलित नहीं है और अध्यक्ष द्वारा कार्यवृत्तों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। प्रारूप के परिचलन के लिए अनुरोध व्यावहारिक नहीं है और सार्वजनिक डोमेन पर सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। तथापि जहां तक संभव हो मसौदा मिनटों को उन हितधारकों को परिचालित किया जा सकता है जिन्होंने सुधार के लिए किसी भी स्पष्ट गलतियों को उजागर करने के लिए मुद्दें उठाए थे।

It was informed to the members by Dr. J. Harish, Joint Commissioner Customs, that the practice of circulation of draft minutes is not in vogue in this Custom House and the minutes are signed by the Chair. The request for the Circulation of the draft Minutes is not practical and cannot be public on public domain. However as far as possible the draft minutes may be circulated to the stakeholders who had sponsored the point to highlight any apparent mistakes for corrections.

इसके अलावा, अब तक प्रसारित बैठकों के कार्यवृत्तों में कोई स्पष्ट गलतियाँ नहीं हैं और यह भी बताया गया कि नियत सत्यापन के बाद अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद ही कार्यवृत्तों को परिचालित किया जाता है।

Further, there are no apparent mistakes in the minutes of the meetings circulated so far and also told that the minutes are circulated after the approval of the chair after due verification.

(कार्रवाई: मुद्दा निरस्त *For Action: point dropped*)

बिंदु संख्या 3. एम ई आई एस लाभ - शिपिंग बिलों को डी जी एफ टी में प्रस्तुत करते समय गलती से 'वाय' की जगह 'एन' कर दिया गया।

Point 3. MEIS benefits — shipping bills erroneously mentioned as 'N' instead of 'Y' while submitting to DGFT

असोसिएशन ने 27.04.2017 और 19.12. को आयोजित पी टी एफ सी की बैठक में इस मुद्दे को पहले भी उठाया। हम सूचित करना चाहते हैं कि यह मुद्दा सुलझा नहीं है और अभी भी लंबित है, हमें अपने सदस्यों से शिकायतें मिल रही हैं। डी जी एफ टी को विवरण प्रस्तुत करते समय इस अनजाने त्रुटि के कारण निर्यातकों के लाभ अवरुद्ध हो जाते हैं, जो बदले में निर्यातकों की कार्यशील पूंजी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यदि आप इस मुद्दे पर मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हालिया आदेश पर गौर करें तो हम आपके आभारी होंगे और जैसा कि आदेश में निर्दशित किया गया है, एम ई आई एस लाभ प्राप्त करने हेतु डी जी एफ टी को प्रस्तुत करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। हमारे सदस्यों द्वारा हमें दिए गए विवरणों के अनुसार, लंबित बिलों की कुल संख्या 252 है। आपके लिए संदर्भ हेतु विवरणों को संलग्न किया गया है।

The Association has taken up this issue earlier in PTFC meeting held on 27.04.2017 and 19.12. We wish to inform that this issue has not been settled and still pending we are getting grievances from our members. Benefits of exporters are blocked due to this inadvertent error while submitting the details to the DGFT, which in turn adversely affects the working capital of exporters. We would be grateful if you could please look into the recent Order passed by the Madras High Court on this issue and as directed in the order, NOC may please be issued to submit the same to the DGFT for availing the MEIS benefit. As per the details given to us from our members, the total number of pending bills are 252. Attaching herewith the details for your ready reference.

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया है कि, उन्हें दस्तावेजों के संशोधन के बारे में जानकारी है। उन्होंने जानकारी दी है कि जिन मामलों में संशोधन का अनुरोध किया जाता है, उन पर विचार किया जाता है और एक आदेश द्वारा निपटाया जाता है। उन्होंने सदस्यों को यह भी सूचित किया कि वे इस मुद्दे पर एक ही दिन में लगभग 15 सुनवाई में शामिल हुए थे और कुछ और सुनवाई जल्द ही होने वाली है। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि जो भी समान मुद्दे हैं, वे एक ही तरीके से आवेदन कर सकते हैं, और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें उनके समक्ष अपनी शिकायतों को रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को 'अनुपात अनुपात' के आधार पर निर्धारित नहीं किया गया है, बल्कि उनके समक्ष मामले में केवल एक 'आदेश' पारित किया गया है, इसलिए मामले का निर्णय केवल उक्त मामलें के पक्षकारों पर लागू होता है। इसलिए, सभी अन्य मामलों में स्पष्ट त्रुटियों को संशोधन के उद्देश्य से दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सिद्ध किया जाना चाहिए। उन सभी मामलों को छूट नहीं दी जा सकती है जहां ऐसी त्रुटि हुई है।

The Chair has informed the members that, he is aware of the issue regarding amendment of documents. He has informed that in cases where the amendments are requested the same are considered and disposed by an order. He also informed the members

that he had attended about 15 hearings on the day in the same issue and some more hearings are scheduled to take place shortly. He informed the members that whoever are having similar issues, they can apply in the same manner, and assured them that they would be given full chance to place their grievances before him. He has further stated that the order passed by Hon'ble Madras high Court is not laid down a ' Ratio decendi ' but has only passed an 'Order' in the case before them Therefore the decision of the case is applicable to only the parties in the said case. Therefore, in all other cases error apparent has to be proved on the basis of documentary evidence for the purpose of amendment. A blanket waiver cannot be given to all cases where such error has happened.

श्री एन एन मेनन, ट्रेड ट्रैक, ने अध्यक्ष की अनुमति के साथ अपने विचार व्यक्त किया और सूचित किया कि, दिल्ली में डी जी एफ टी अधिकारियों के समक्ष उनके ग्राहकों की ओर से एक समान मामला उठाया जाता है। उन्होंने कहा कि संबंधित मामलों में आवश्यक परिवर्तन डी जी एफ टी द्वारा किया जाना है न कि सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा। उन्होंने सदस्यों से अनुकूल परिणाम प्राप्त करने हेतु डी जी एफ टी के सम्मुख कार्यवाही में शामिल होने का अनुरोध किया।

Shri N N Menon, Trade Track, with the permission of Chair interceded and informed that, a similar matter is taken up by him on behalf of his clients before the DGFT authorities in Delhi. He opined that in the related cases change required is to be made by DGFT not Customs Authorities. He requested the members also to join the proceeding before DGFT.to obtain a favorable outcome

(कार्रवाई: मुद्दा निरस्त *For Action: Point dropped)*

बिंदु संख्या 4. समूह VII को चावल के निर्यात के लिए अधिसूचित करना
Point 4. Notifying in Group VII for Rice exports.

हमारे सदस्यों द्वारा बताया गया कि चावल का निर्यात करते समय, प्रक्रिया के अनुसार सी बी को उसके परिमाण के संबंध में समूह VII में अधिसूचित करना होगा। चूंकि अधिकांश निर्यातक अब सेल्फ स्टफिंग कर रहे हैं, इसलिए स्टफिंग के बाद इनवॉइस दी जाएगी। जब काम के घंटों या छुट्टियों के बाद सी बी की ओर से चालान प्राप्त होता है, तो उनके लिए समूह VII में सूचित करना और उनकी मुहर प्राप्त करना मुश्किल होता है। यदि यह सील नहीं होगा, तो सीमा शुल्क बिल को पंजीकृत नहीं करेगा, लेकिन केवल स्टैकिंग कंटेनर को अनुमति देगा और उन्हें समूह VII में पंजीकरण के बाद अगले कार्य दिवस को निर्यात करना होगा। चूंकि अब सब कुछ सिस्टम जनरेट (कंप्यूटरीकृत) हो गया है, इसलिए समूह VII रजिस्टर में इस मैनुअल प्रविष्टि को एल ई ओ प्राप्त करने में देरी से बचने तथा आवाजाही के ड्वेल टाईम को दूर करने के लिए निरस्त किया जाए।

It was informed by our members that while exporting rice, as per the procedure, CB has to notify it in Group VII regarding the quantity. Since most of the exporters are now self-stuffing, the invoice will be given after stuffing. When the invoice is received at CB end after the working hours or holidays, it is difficult for them to notify in Group VII and get their seal. If this seal is not there, Customs will not register the bill, but will allow only stacking container and they have to get the let export next working day after registration in Group VII. Since now everything is system generated, this manual entry into the Group VII register may be waived to avoid delay in getting LEO and avoid dwell time of the movements.

एओ (सी सी यू) ने सदस्यों को सूचित किया कि, "चावल निर्यात के लिए अनुबंध का पंजीकरण" एक डी जी एफ टी ऑर्डर के अनुसरण में था जिसने चावल के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था, भारत से चावल के निर्यात की निगरानी की आवश्यकता थी, विषय अवधि के दौरान सी.बी. निर्यात किए गए चावल की मात्रा के बारे में समूह *VII* को सूचित करना था। वर्तमान में डी जी एफ टी प्रावधानों के तहत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि चावल के निर्यात के लिए पहले प्रतिबंध हटा लिया गया है। आगे बताया गया कि भारत सरकार समय-समय पर निर्यात / आयात नीति को संशोधित करती है और विशिष्ट आदेश समय-समय पर केवल निर्दिष्ट अवधि के लिए लागू होते हैं। सी सी बी एसे अनुरोध किया गया था कि वह अपने सदस्यों को और समय-समय पर नीतियों में किए गए परिवर्तनों के बारे व्यापारियों को सूचित करे।

AO (CCU), informed the members that, "Registration of contract for Rice Exports" was in pursuance of a DGFT Order which restricted the export of Rice, had required monitoring of the export of the rice from India, During the subject period the CB had to notify the Group VII regarding the quantity of Rice exported. Presently there is no such requirement under the DGFT provisions as the earlier restriction for export of Rice has been withdrawn. It was further informed that Government of India modifies the Export /Import Policy from Time to time and the specific orders are applicable from time to time for the specified period only. The CCBA was requested to educate its members and the trade of the changes made in the Policies from time to time.

(कार्रवाई: मुद्दा निरस्त *For Action: Point dropped)*

बिंदु 5. सी एफ एस से नामांकन हेतु बॉण्ड का आग्रह
Point 5. Insisting Bond from CFS for nomination

हमें हमारे सदस्यों द्वारा सूचित किया गया है कि यदि अधिसूचित पद्धति से अलग आयातक / सी बी, सी एफ एस को नामांकित करते हैं तो पद्धति सी एफ एस से बांड के लिए आग्रह करती हैं, जो कि कुछ मामलों में सी एफ एस देने के लिए तैयार नहीं होता। हम ट्रेड नंबर नंबर 04/2011 पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि कंटेनरों को आयातकों की चुनाव के अनुसार सी एफ एस में ले जाया जाएगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया इसे लागू करें और पद्धति के संबंध में निर्देश दिया जाए कि आयातकों को अपनी पसंद के सीएफएस का चयन करने की अनुमति हो। कृपया कंटेनर की आवाजाही के लिए शिपिंग लाइन से विशेष बॉन्ड के संबंध में सीमा शुल्क ब्रोकर को प्रदत्त मेल प्राप्त करें।

We have been intimated by our members that if the importers / CBs are nominating CFS, other than notified by the lines, the lines are insisting for bond from the CFS, which in some cases CFSs are not ready to give. We wish to draw your kind attention to point No. 4 the Trade Facility No. 04/2011, in which it is mentioned that containers will be moved to the CFSs of importers' choice. We would therefore request you to please implement the same and lines may be instructed to allow the importers to select the CFSs of their choice. Please find the mail from the shipping line to Customs Broker regarding a special bond for movement of container.

एओ (सी सी यू) ने अध्यक्ष और सदस्यों को सूचित किया, कि पिछली बैठक में अध्यक्ष द्वारा निर्देश के अनुपालन में, हितधारकों की अर्थात् सी एफ एस के एस आई ई, सी एफ एस कांकोर. सी एफ एस सी पी टी. तथा सी एफ एस पेटा के प्रतिनिधियों और स्टीमर लाइन मेसर्स वन लाइन प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि के साथ एक बैठक सहा. आयुक्त (डॉक्स) और ए ओ (सी सी यू) की उपस्थिति में आयोजित की गई।

AO (CCU) informed the Chair and the members, that in pursuance to the direction by the Chair in the previous meeting, a meeting of the stakeholders namely representatives from CFS KSIE, CFS CONCOR, CFS CPT, and CFS Pettah, and the representatives of the Steamer Line M/S ONE Line Pvt. Limited was held in the presence of the AC (Docks) and AO (CCU).

बैठक में मेसर्स वन लाइन प्राइवेट लिमिटेड ने सहा. आयुक्त (डॉक्स) और अन्य हितधारकों को सूचित किया कि बॉन्ड / उपक्रम की शर्त की आवश्यकता मैसर्स वन लाइन की ग्राहक नीति के अनुरूप थी, जिसका संचालन पैन इंडिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। परिवचन (अंडरटेकिंग) / बॉन्ड में किसी भी विवाद के परिणामस्वरूप कानूनी जटिलताओं या क्षतिपूर्ति और दायित्व जो कंटेनर / माल की आवाजाही के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, की स्थिति में उनके वाणिज्यिक हितों की रक्षा करने के लिए जोर दिया जाता है ।

In the meeting, M/S ONE Line Pvt. Ltd informed the AC (Docks) and other stakeholders that requirement of the bond/undertaking condition insisted was in line with the customer policy of M/s ONE line which has operation pan India and internationally. The Undertaking/Bond is insisted in order to protect their commercial interest, in case of any disputes resulting in legal complications or indemnifications and towards the liability which may arise for the same due to the movement of the containers/goods.

श्री अब्राहम फिलिप, भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसने पिछली पी टी एफ सी बैठक में अध्यक्ष के समक्ष विषय बिंदु प्रस्तुत किया था, ने कहा कि स्टीमर लाइन द्वारा ऐसे अंडरटेकिंग / बॉन्ड का आग्रह सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी व्यापार सुविधा 6/2011 का उल्लंघन है। अन्य हितधारक अर्थात् सी एफ एस का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों ने प्रस्तुत किया कि सीमा शुल्क के लिए कार्गो और कंटेनर के बारे में सभी दायित्व सीमा शुल्क प्राधिकरणों के समक्ष निष्पादित बॉन्ड और बैंक गारंटी के आधार पर संरक्षित थे। मैसर्स वन लाइन की आवश्यकता का अन्य स्टीमर लाइनों के साथ मतभेद था और जो उनके व्यावसायिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और उनके संचालन में कठिनाइयों का कारण बनता है।

Shri. Abraham Philip, Indian Chamber of Commerce & Industry, who submitted the subject point before the Chair in the previous PTFC meeting stated that the insistence of such an Undertaking/Bond by the steamer Line was a violation of the Trade Facility 6/2011 issued by the Customs Authorities. The other stakeholder namely the members representing CFS s submitted that all the liabilities regarding the Cargo and Container towards Customs and others were protected by the virtue of Bonds and Bank Guarantees executed before the Customs Authorities. The requirement of M/s ONE line was at variance with other steamer lines and prejudicially effects their commercial interests and causes difficulties in their operations

मेसर्स वन लाइन स्टीमर लाइन के प्रबंधक श्री साजिमन जचारिया ने बताया कि वे मामले को अपने प्रधान कार्यालय को सूचित करेंगे और अपने प्रधान कार्यालय से परामर्श करेंगे और सूचित करेंगे।

It was informed by Shri Sajimon Zachariah, Manager, M/s ONE Line steamer line that they would inform the matter to their Head Office and consult their Head office and come back on the subject matter.

(कार्रवाई: सहायक आयुक्त (डॉक्स) *For action: follow up action AC (Docks)*

बिंदु 6 . सी एफ एस पर कंटेनरों का परीक्षण   Point 6. Container examination at CFS

सीमा शुल्क में ड्वेल टाईम को कम करने के लिए, शिपिंग लाइनों से डिलीवरी ऑर्डर के बिना कंटेनरों की जांच की अनुमति दी जा सकती है।

To reduce dwell time in customs, examination of containers may be permitted without the delivery order from the shipping lines.

सीमाशुल्क के संयुक्त आयुक्त डॉ. जे हरीश ने सदस्यों को सूचित किया कि, सीमाशुल्क विभाग वितरण आदेश पर परीक्षण करने पर जोर नहीं देता है। हालांकि कानूनी तौर पर डिलीवरी ऑर्डर कार्गो के स्वामित्व को साबित करने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है और डिलिवरी ऑर्डर के बिना यह स्वामित्व कार्गो का स्थापन और पहचान मुश्किल होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह कुछ कानूनी मुद्दों को भी जन्म दे सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस तरह के विवादों को कम करने के लिए हितधारकों जैसे स्टीमर एजेंटों, सी एफ एस और आयातकों तथा सी सी बी ए के बीच समस्या का समाधान सक्रिय सहभागिता से किया जा सकता है।

Dr. J Harish, Joint Commissioner of Customs, informed to the members that, the Customs Department does not insist on Delivery Order for conducting examination. However legally the Delivery Order is a necessary document to prove the ownership of the cargo and without the Delivery Order it would be difficult to establish and identify that the ownership cargo. He further stated that this may also lead to some legal issues. He suggested that the issue may be resolved between the stake holders namely the Steamer Agents, CFS and the importers and the CCBA to actively involve themselves to reduce such disputes .

डॉ. जेस्टो जॉर्ज, प्राधिकृत अधिकारी एफ एस एस ए आई, ने अध्यक्ष को सूचित किया कि सीमाशुल्क ब्रोकर्स के अधिकांश कर्मचारी नमूने लेने के लिए आयातित कंटेनरों से पैकेज खोलने के लिए एफ एस एस ए आई के प्रतिनिधियों से आग्रह करते हैं। वे पूछते हैं कि क्या एफ एस एस ए आई के प्रतिनिधियों को कस्टम अधिकारी की अनुपस्थिति में पैकेज खोलने या नमूना लेने का अधिकार है।

Dr. Jesto George, Authorised Officer FSSAI, informed the Chair that most often staff of the Customs Brokers are insisting the representatives from the FSSAI to Open the Packages from the imported containers for taking samples. He enquires as to whether the representatives of the FSSAI are empowered to open the packages or take sample in the absence of Custom Officer.

इस संबंध में ए ओ (सी सी पी) ने भी सदस्यों को सूचित किया कि आयातित पैकेज (खोलने) विनियमन, *1963* के अनुसार, किसी भी आयातित पैकेज को सीमा शुल्क के उचित अधिकारी की अनुमति से खोला जाना चाहिए, और आज तक विषय विनियमन संशोधित नहीं किया गया है । एफ एस एस ए आई के अधिकारियों को एफ एस एस ए आई विनियमों के अनुसार खेप के खुले पैकेजों से नमूने लेने का अधिकार है।

In this regard AO (CCU), also informed to the members that as per the Imported Packages (opening) Regulation,1963, any imported packages should be opened with the permission of the proper officer of Customs, and the subject regulation has not been modified till date. The officers of FSSAI are empowered to draw the samples from the opened packages of the consignment as per the FSSAI Regulations

संयुक्त आयुक्त द्वारा सदस्यों को पद्धति के साथ त्वरित और सौहार्दपूर्ण समन्वय बनाने का सुझाव दिया जाता है

It is further suggested to members by the Joint Commissioner to make quick and amicable coordination with the lines.
(कार्रवाई बिंदु निरस्त *For Action: Point dropped)*

बिंदु संख्या 7. सी सी बी ए के सदस्यों द्वारा कारण बताओ नोटिस

Point 7. Show cause notices received by CCBA members

हमें हमारे सदस्यों द्वारा सूचित किया गया था कि उनमें से कई चूंको के लिए कारण बताओ नोटिस मिल गया है जो कि स्वयं सीमाशुल्क ब्रोकरों द्वारा नहीं किया गया है। और ये एक द्वेषपूर्ण तरीके से किए गए प्रतीत होते हैं जो विभाग के साथ अनावश्यक घर्षण पैदा करते हैं। यह बदले में सीमा शुल्क निकासी कार्य में व्यवधान पैदा करता है और कोचीन पोर्ट के माध्यम से व्यापार को प्रभावित कर रहा है।

We were informed by our members that many of them have received show cause notices over lapses that were not caused by the customs brokers themselves and these seem to be done in a spiteful manner causing unnecessary friction with the department. This in turn causes disruption to the customs clearance work and is affecting the trade through Cochin Port.

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि कारण बताओ नोटिस एक प्रक्रिया है और जिसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुपालन के लिए कानून द्वारा अपनाया जाता है । यह पार्टी को आरोपों के संबंध में व्यक्त करने या उन्हें स्पष्ट करने का अवसर देता है। कारण बताओ नोटिस का अर्थ केवल यह है कि किसी व्यक्ति से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। अध्यक्ष ने आगे बताया कि निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करना भी आवश्यक है।

अध्यक्ष ने आगे टिप्पणी की है कि, पी टी एफसी व्यक्तिगत मुद्दों और इस तरह के सवालों को उठाने के लिए उचित मंच नहीं है।

The Chair informed the members that a Show Cause Notice is a procedure which is adopted by law and for compliance of Doctrine of natural justice. It gives an opportunity to the party to represent or to clarify the charges thereon. A show cause notice only means that a person is being asked for clarification on the issue. The Chair further informed that it is also necessary to follow the procedure established by law for the Quasi-Judicial authority to take a fair decision.

Chair has further remarked that, PTFC is not the proper forum to raise the individual issues and such kind of questions.

(कार्रवाई: मुद्दा निरस्त ***For Action: Point dropped)***

बिंदु संख्या 8. सेवोत्तम के माध्यम से हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्रों के लिए सीमा शुल्क से किसी भी उत्तर की प्राप्ति न होना।

Point 8. Non-receipt of any replies from Customs for the letters submitted by us through Sevottam.

हमने दिनांक 12.02.2019 को उप आयुक्त द्वारा दस्तावेजों के विकृत करने पर आयोजित जांच की स्थिति प्राप्त करने के लिए सेवोत्तम में पत्र प्रस्तुत किया था और आर टी आई के तहत दिनांक 06.06.2019 को सीमाशुल्क में सी सी बी ए के कामकाज के खिलाफ की गई शिकायत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अन्य अनुरोध प्राप्त हुआ। एसोसिएशन आभारी होगा, अगर अध्यक्ष कृपया उस पर ध्यान दे तथा उसका उत्तर प्रदान करें।

We had submitted letters at Sevottam to get the status of the enquiry conducted on the mutilation of documents by the Deputy Commissioner on 12.02.2019 and another request submitted under **RTI** to get information regarding the complaint received at the Customs against the functioning of CCBA on 06.06.2019. The association would be grateful, if the Chair could please look into the same and do the needful to give reply.

अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि सदस्यों को व्यक्तिगत मुद्दों को उठाने से बचना चाहिए क्योंकि पी टी एफ सी इस तरह के मुद्दों को उठाने के लिए उचित मंच नहीं है। सेवोत्तम और आरटीआई दोनों में आवेदनों के निपटान के लिए स्वयं निहित प्रक्रियाएं हैं।

*Chair has remarked that the members should desist from raising individual issues as PTFC is not a proper forum to raise such kind of issues. Both **Sevottam** and **RTI** have self contained procedures for the disposal of applications*

(कार्रवाई: मुद्दा निरस्त *For Action: Point dropped)*

चूंकि चर्चा के लिए सदस्यों द्वारा और कोई मुद्दा नहीं उठाया गया अध्यक्ष ने सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की समाप्ति की घोषणा की। स्थाई व्यापार सुविधा समिति की अगली बैठक की सूचना सीमाशुल्क गृह के वेबसाईट www.cochincustoms.nic.in. द्वारा दी जाएगी। यदि चर्चा के लिए कोई मुद्दे हो तो उन्हें भेजा जा सकता है। पूछताछ, यदि कोई हो तो उसे दूरभाष संख्या 0484-2667040 पर या ccu@cochincustoms.gov.in या ccucochin@gmail.com इस ई -मेल पते पर की जा सकती है।

Since no other points were raised by the members for discussion, the Chair declared the meeting closed by thanking the members. The date for next meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee will be intimated through the Custom House

website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in or ccucochin@gmail.com.

12.07.2019 को आयोजित पीटीएफसी बैठक के ड्राफ्ट कार्यवृत्त को ईमेल / प्रेषण के माध्यम से CCBA को प्रसारित किया गया था, दिए गए समय अवधि के भीतर कोई टिप्पणी या प्रश्न प्राप्त नहीं हुए हैं।

The draft minutes of PTFC meeting held on 12.07.2019 was circulated to CCBA via email/ dispatch, no comment or queries has been received within the given time period.

Sd/-
(सुमित कुमार, भा. रा. से. Sumit Kumar, IRS)
आयुक्त Commissioner

F.No.S.65/17/2018–CCU-CUS
दिनांक Dated: 23.07.2019

// अनुप्रमाणित Attested//

(बैजू डैनियल Baiju Daniel)
मूल्य निरूपक अधिकारी AO (CCU)

को प्रस्तुत Submitted to:

1.The Principal Chief Commissioner of Central Excise, Central Tax & Customs, Kerala Zone, Cochin.
2.The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit, 4th Floor TTMC Building , Above BMTC Bus Stand, Domlur, Bangalore-560071.

प्रतिलिपि:सभी संयुक्त आयुक्त/सभी उप आयुक्त/सहायक आयुक्त/ पी टी एफ सी के सभी सदस्य
Copy to: Joint Commissioners/ All D.Cs & A.Cs/ All members of PTFC
ई डी आई अनुभाग (सीमाशुल्क की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु)EDI (for uploading on customs website)